राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 42/2013/श्रीगंगानगर.

मैसर्स ट्रांसवे फ्रेट कैरियर्स प्रा0 लिमिटेड, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,
श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/10/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 379/आरवेट/श्रीगंगानगर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय (प्रतिकरापवंचन) श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा हनुमानगढ़ जं0 चौराहे पर वाहन संख्या एच.आर.–57/8533 की जांच किये जाने पर वाहन में परचून माल दिल्ली से बीकानेर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया, जिसमें से सल्फर 80 प्रतिशत नग 100 से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस पर जांच अधिकारी द्वारा माल को निरूद्ध किया जाकर वाहन चालक/माल प्रभारी को भौतिक सत्यापन हेतु नोटिस दिया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा भौतिक सत्यापन के समय माल से सम्बन्धित ब्रांच ट्रांसफर इन्वॉयस संख्या 018 दिनांक 12.10.2011, जी.आर. संख्या 81639 दिनांक 12.10.2011 व घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 5594756 प्रस्तुत किये गये। जांच अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों को बाद की सोच का परिणाम मानते हुए अस्वीकार किया गया तथा करापंवचन का

लगातार.....2

प्रकरण होने से उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर बीकानेर द्वारा प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) को स्थानान्तरित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर करापवंचन की मंशा से माल परिवहनित किया जाना अवधारित करते हुए तथा वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 45,750/– का आरोपण आदेश दिनांक 21.10.2011 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2012 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज भौतिक सत्यापन से पूर्व ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे। उक्त दस्तावेजों में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कमी नहीं बताई गई थी। अपीलार्थी की किसी भी प्रकार से करापवंचन की मंशा नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स** से पूर्णतः आच्छादित बताते हुए शास्ति आदेश एवं अपीलीय आदेश को विधिविरूद्ध बताया। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा चैक किये जाने पर परिवहनित माल 'सल्फर 80 प्रतिशत 100 नग' से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाये गये। इस बाबत माल प्रभारी को नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करा दिये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों को किसी भी जांच द्वारा बोगस साबित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी. सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स** में यह व्यवस्था दी गयी है कि जो दस्तावेज संव्यवहार के समय अस्तित्व में हो, किन्तु वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये

लगातार.....3

जा सके हों, वे दस्तावेज नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित रहता है कि माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संव्यवहार के समय मौजूद थे, किन्तु वक्त जांच सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जो भौतिक सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय का उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा होता है।

7. उपरोक्त विवेचन अनुसार सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में विधिक नहीं हैं, इसलिए शास्ति आदेश एवं अपीलीय आदेश अपास्त किये जाते हैं।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 21.10.2011 एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20.11.2012 अपास्त किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

29.10.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य